

छत्तीसगढ़ शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

पत्र क्रमांक/1626/2020-21  
प्रति

नवा रायपुर दिनांक: 15/04/2020

कलेक्टर  
जिला - समस्त (छ.ग.)

विषय :- कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु लागू किये गये लॉकडाउन अवधि में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत पोषण आहार वितरण किये जाने हेतु दिशानिर्देश संबंधी।

- संदर्भ :-
1. छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक/1618/मबावि/2020 दिनांक 31.03.2020।
  2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 186/स.सा.प्र.वि./2020 दिनांक 14.04.2020।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को लॉकडाउन अवधि में 21 दिवस का सुखा राशन प्रदाय किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। चूंकि भारत शासन द्वारा उक्त लॉकडाउन अवधि को दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ाया गया है। अतएव लॉकडाउन अवधि बढ़ाये जाने के कारण आगामी आदेश तक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत गर्म भोजन से लाभांशित हितग्राहियों को सुखा राशन दिए जाने संबंधित परिपत्र क्रमांक 1618 दिनांक 31.03.2020 द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कार्यवाही करें।

  
(विजया खोस्ला)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग  
नवा रायपुर, दिनांक: 15/04/2020

पृ. क्रमांक/1627/2020-21  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर छत्तीसगढ़।

4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
5. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
6. आयुक्त, समस्त संभाग छ.ग.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला - पंचायत समस्त छ.ग.।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-समस्त की ओर पालनार्थ ।

  
अवर-सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग